**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2467**
**03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: सहकारी क्षेत्र पर नियंत्रण**

**2467. श्री कोडिकुन्नील सुरेश**

**क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत मेडिकल कॉलेजों और बैंकों पर आंशिक नियंत्रण करने के निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार ने केरल में सभी सहकारी बैंकों के विलय के बाद गठित केरल बैंक की भर्ती और लेनदेन के लिए दिशानिर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ड) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य कर रहा है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

**(क) एवं (ख):** जी, नहीं।

**(ग) एवं (घ):** नाबार्ड के माध्यम से 13 जिला केंद्रीय सहकारी बैकों (डीसीसीबी) और केरल राज्य सहकारी बैंक (केएसटीसीबी) के बीच समामेलन की प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुमति दी है और निगरानी की है। गवर्नेंस संरचना, प्रबंधन, मानव शक्ति/मानव संसाधन संबंधी मुद्दों, और प्रत्येक बैंक से केएसटीसीबी को परिसंपत्तियों व देयताओं के हस्तांतरण हेतु मैत्रीपूर्ण समाधान से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए केरल सरकार (जीओके) और केरल राज्य सहकारी बैंक/डीसीसीबी के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। केरल सरकार समामेलित संस्थाओं के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

**(ड.) एवं (च):** जी, हाँ। बैकिंग विनियम (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के तहत नाबार्ड द्वारा केरल राज्य सहकारी बैंक का पर्यवेक्षण किया जाता है और बीआर अधिनियम, 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे विनियमित किया जाता है।

*****